9– महंगाई भत्ता

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांकः 01 जनवरी, 2011 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण।	सं0:–221/xxvii(7)02/2011 दिनांकः 30 सितम्बर, 2011	145–146
2	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0:–222/xxvii(7)02/2011 दिनांकः 30 सितम्बर, 2011	147–148
3	दिनांकः 1 जनवरी, 2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों /स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2011 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।	सं0:–223/xxvii(7)02/2011 दिनांकः 30 सितम्बर, 2011	149–150
4	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0:–224/xxvii(7)02/2011 दिनांकः 30 सितम्बर, 2011	151–152
5	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांकः 01 जुलाई, 2011 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण।	सं0:–13/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 21 जनवरी, 2012	153–154
6	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0:–14/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 21 जनवरी, 2012	155–156
7	दिनांकः 01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांकः 01.07.2011 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण।	सं0:–15/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 21 जनवरी, 2012	157–158
8	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0:–16/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 21 जनवरी, 2012	159–160
9	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से मंहगाई भत्ते का पुर्नरीक्षण।	सं0:– 143/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 13 जून, 2012	161–162
10	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0:–153/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 13 जून, 2012	163–164
11	दिनांकः 01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांकः 01.01.2012 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण।	सं0:–154/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 13 जून, 2012	165–166
12	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं0:–155/xxvii(7)02/2012 दिनांकः 13 जून, 2012	167–168

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,

सचिव,वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।

3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 30 सितम्बर,2011

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2011 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:725/XXVII(7)म.भ./2010, दिनांक 26 अक्टूबर,2010।

2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(2)/ 2011– ई–ii(बी) दिनांक 24 मार्च,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 725/XXVII(7)म.भ./2010 दिनांक 26 अक्टूबर,2010 द्वारा दिनांक 01 जुलाई,2010 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 45 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या:725/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 अक्टूबर,2010 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(2)/ 2011– ई–ii(बी) दिनांक 24 मार्च,2011 के कम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–2011 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 45 प्रतिशत से बढाकर 51 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2011 से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई है (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2011 से 30 सितम्बर 2011 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अक्टूबर 2011 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)

सचिव।

संख्या : 221 / xxvii(7)02 / 2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2 समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4 सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5 सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6 महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7 रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर / देहरादून।
8 निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9 वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10 स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11 निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या: / XXVII(7)02 / 2011
देहरादून, दिनांक: 30 सितम्बर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:734 / xxvii(7)म0रा0 / 2010 दिनांक 26 अक्टूबर,2010 द्वारा दिनांक 1–7–2010 से महंगाई राहत 45 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के कम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 26 अक्टूबर,2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1–1–2011 से महंगाई राहत की एक और किश्त 6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांकः 1–1–2011 से राहत की दर बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252 / दस / 10(3)–81, दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव, वित्त।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- /XXVII(7)02/2011
Dehradun : Dated : 30 September,2011

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 734/XXVII(7)DR/2010, dated:26 October,2010 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect from 01 January, 2011 in supersession of the rates mentioned in the C.M. dated: 26 October,2010 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2011 has risen to 51%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Govemment.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Govemment orders shall remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondhiyal)
Secretary

संख्या222/XXVII(7)02/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

9– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No.222/XXVII(7)02/2011, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other state be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt please.

8- Finance, audit cell, Govt. of Uttrakhand.
9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्याः / xxvii(7)02 / 2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 30 सितम्बर,2011

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2011 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः745 / xxvii(7)म.भ. / 2010 दिनांक 08 नवम्बर,2010।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)12008संस्था–II(ख) दिनांक 31 मार्च,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्याः745 / xxvii(7)म.भ. / 2010 दिनांक 08 नवम्बर,2010 द्वारा दिनांक 1–7–2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 103 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांकः 08 नवम्बर,2010 एवं 31 मार्च,2011 के क्रम में दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2011 से मंहगाई भत्ते को 103 प्रतिशत से बढ़ाकर 115 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस–42(एम) / 97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2011, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2011 से 30 सितम्बर,2011 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोडकर) की बढी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या :223/ xxvii(7)02/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या : / XXVII(7)02 / 2011
देहरादून, दिनांक: 30 सितम्बर,,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 801/xxvii(7)मं.रा./2010 दिनांक 24 दिसम्बर,2010 द्वारा दिनांक 1–7–2010 से महंगाई राहत की 103 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 24 दिसम्बर,2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जनवरी,, 2011 से 115 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO. /XXVII(7)02/2011
Dehradun : Dated : 30 September,2011

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-801/XXVII(7)DR/2010, dated: 24 December, 2010 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1-7-2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 January, 2011 to 115 %, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 24 December,2010 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondhiyal)
Secretary

संख्या-224/XXVII(7)02/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No. 224/XXVII(7)02/2011, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

4- Director, Treasury and Finance services. Uttrakhand.

5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्या: 13 /xxvii(7)02/2012

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3- समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 देहरादून,दिनांक 21 जनवरी,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2011 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :-

1- शासनादेश संख्याः221/xxvii(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011।
2-भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(14)/ 2011-ई-ii(बी) दिनांक 03 अक्टूबर,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के शासनादेश संख्या 221/xxvii(7) 02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 द्वारा दिनांक 01 जनवरी,2011 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 51 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्याः221/xxvii(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(14)/ 2011- ई-ii(बी) दिनांक 03 अक्टूबर,2011 के कम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01-07-2011 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 51 प्रतिशत से बढाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2011, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2011 से 31 दिसम्बर,2011 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जनवरी,2012 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन सबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

5- इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या 13(1)/ xxvii(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसधान अधिकारी (वेतन अनुसधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार
वित्त (वि0आ0नि0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या/4/XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक 21 जनवरी, 2012
कार्यालय ज्ञाप

विषय- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वि0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:222/XXVII(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 01-07-2011 से महंगाई राहत 51 प्रतिशत की दर से स्वीकृत किया गया है, क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 सितम्बर,2011 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01-07-2011 से महंगाई राहत की एक और किश्त 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक 01-07-2011 से राहत की दर बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव वित्त।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
N0-/4 /XXVII(7)02/2012
Dehradun Dated 21 January 2012

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 222/XXVII(7)02/2011, dated:30 September,2011 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 7% (Seven Percent) with effect from 01 July, 2011 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 30 September,2011 refered to above accordingly the rate of deamess of pension/family pension w.e.f. 01-07-2011 has risen to 58%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of deamess relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondhiyal)
Secretary

संख्याः 140/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

उपरोक्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No. 140(1) /XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Finance, audit cell, Govt. of Uttrakhand.
9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्या:15 /XXVII(7)02/ 2012

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,

सचिव,वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

3- समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0- सा0नि0)अनु0-7

देहरादून,दिनांक 21 जनवरी,2012

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01-07-2011 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :

1- शासनादेश संख्या:223/XXVII(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011।

2- भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)2008संस्था-II(ख) दिनांक 17 अक्टूबर,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश संख्या:223/XXVII(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 द्वारा दिनांक 01-01-2011 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 115 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर,2011 एवं 17 अक्टूबर,2011 के क्रम में दिनांक 01-01-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01-07-2011 से महंगाई भत्ते को 115 प्रतिशत से बढ़ाकर 127 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या- 1-1599/दस- 42(एम)/97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2011, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2011 से 31 दिसम्बर,2011 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जनवरी,2012 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)

सचिव।

संख्या : 15(1)/ xxvii(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या 16 /XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक 21 जनवरी,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 224/xxvii(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 द्वारा दिनांक 01–01–2011 से महंगाई राहत की 115 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 30 सितम्बर,2011 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई,, 2011 से 127 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 16 /XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 21 January,2012

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-224/XXVII(7)02/2011, dated: 30 September, 2011 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Deamess Relief with effect from 01-01-2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of deamess relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Govemment to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2011 to 127 %, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 30 September,2011 refered to above.

2- Payment of deamess relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Educatio Department whose Pension/Family pension is at pa with the pensioners of the state Govemment.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of deamess relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of deamess relief laid down in earlier Govemment orders shall remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondhiyal)
Secretary

16(1)
संख्याः /XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

16(1)
No. /XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.
2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्याः 143 /xxvii(7)02/2012

प्रेषक

राधा रतूडी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

2 - वित्त अधिकारी / कुल--सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।

3 - समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0 - सा0नि0)अनु0--7 देहरादून,दिनांक 13 जून,2012

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से महगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :-- ।

1-- शासनादेश संख्या:13 / xxvii(7)02 / 2012 दिनाक 21 जनवरी,2012 ।

2--भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(1)/ 2012-- ई--ii(बी) दिनांक 03 अप्रैल,2012 ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0--7 के शासनादेश संख्या 13 / xxvii(7) 02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनाक 01 जुलाई,2011 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 58 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2-- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 13 / xxvii(7)02 /2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(1) / 2012--ई--ii(बी) दिनांक 03 अप्रैल,2012 के क्रम मे राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01--01--2012 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3-- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या--1--1599, दस--42(एम) / 97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर--3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4-- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरो पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2012 से उन कर्मचारियो, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोडकर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से 30 जून,2012 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जुलाई,2012 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

5-- इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरो में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियो पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव।

संख्या 143 / XXVII(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।

2 समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।

3 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।

4 प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

5 सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।

6 सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।

7 महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।

8 रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।

9 निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।

10 वित्त, ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

11 स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।

12 निदेशक एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या:153/XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक: 13 जून,2012
कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:14/XXVII(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से महंगाई राहत 58 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 21 जनवरी,2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01–01–2012 से महंगाई राहत की एक और किश्त 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक: 01–01–2012 से राहत की दर बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणाक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नही होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक, एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हे शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
No:153/XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 13 June,2012

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 14/XXVII(7)02/2012, dated:21 January,2012 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index et the rate of 7% (Seven Percent) with effect from 01 January, 2012 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 21 January,2012 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2012 has risen to 65%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81 dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्याः 153 /XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिको को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सबध में स्वंय निर्णय ल सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

4– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

5– निदेशक, कोषागार एव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतिया इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

8– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतिया मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

10– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No/53 /XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3-Principal Secretary/Secretary,Urban Development/ Public Industy Development Department, Utttrakhand Government with the request that the admirlbility of D.A may be permitted it self in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.

4- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

5- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7- All Treasury Officers, Uttrakhand.

8- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

9- Finance, audit sale, Govt. of Uttrakhand.
10- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्या: 154/XXVii(7)02./2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 13 जून,2012

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2012 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

1– शासनादेश संख्या:15/XXVii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012।
2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)2008संस्था–II(ख) दिनांक 20 अप्रैल,2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश सख्या:15/XXVii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 127 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 21 जनवरी,2012 एवं 20 अप्रैल,2012 के कम में दिनांक 01–01–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान मे कार्यरत राज्य कर्मचारियो/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2012 से महगाई भत्ते को 127 प्रतिशत से बढाकर 139 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध मे शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2012, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से 30 जून,2012 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जुलाई,2012 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 154 / xxvii(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2 प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3 समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
6. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7 सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8 महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड देहरादून।
9 रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
10 निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12 स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
13 निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा०प्ने०–वे०आ०) अनुभाग–7
संख्या 155 / XXVII(7)02 / 2012
देहरादून, दिनांक 13 जून 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/xxvii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से महंगाई राहत की 127 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जनवरी,2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 139 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 155 /XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 13 June,2012

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-16/XXVII(7)02/2012, dated: 21 January 2012 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01-07-2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 January, 2012 to 139 %. in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 21 january,2012 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्या: 155/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3–प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

4– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस[illegible]य के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रति[illegible] मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No155/XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3-Principal Secretary/ Secretary,Urban Development / Public Industy Development Department, Utttrakhand Government with the request that the admiribility of D.A may be permitted it self in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.

4- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

5- Director, Treasury and Finance services. Uttrakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7- All Treasury Officers, Uttrakhand.

8- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary